विक्रय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित आदेश				
दिनांक	अधिसूचना/शासनादेश/परिपत्र संख्या	अधिसूचना/शासनादेश/परिपत्र	विषय	डाउनलोड
01.07.2004	क0नि0-5-3573/ग्यारह-2004-500(66)/99	अधिसूचना	विक्रय प्रमाण पत्र	
30.05.2004	क0नि0-5-2250/ग्यारह-2005-500(66)/ 1999	अधिसूचना	विक्रय प्रमाण पत्र	
01.01.2002	संख्या 1913	परिपत्र	विक्रय प्रमाण पत्र	

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्याः क0नि0-5-3573/ग्यारह-2004-500(66)/99
लखनऊ दिनांक जुलाई 01,2004

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्तिके सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 सन् 1951) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश वित्त निगम के नीलामकर्ता अधिकारी और नीलाम क्रेता के मध्य निष्पादित लिखतों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि, जो नीलामी क्रय की लिखत में दी गयी प्रतिफल/नीलामी धनराशि से ऐसी अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य तक अधिक हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते है।

आज्ञा से
(रीता सिन्हा)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्याः क0नि0-5-2250/ग्यारह-2005-500(66)/1999

लखनऊ दिनांक 30 मई,2004

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन सन् 1972 के संख्या 3525 पर पंजीकृत राज्य और वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1951) के अधीन प्राधिकृत दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमटेड के नीलामकता अधिकारी और नीलामक्रेता के मघ्य उक्त अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन निष्पादित हस्तांतरण लिखत पर ऐसी धनराशि की सीमा तक, जो नीलामी क्रय के ऐसे लिखतों में यथा उपवर्णित प्रतिफल/नीलामी की धनराशि से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य तक अधिक हो, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम करते है।

आज्ञा से

(अतुल चतुर्वेदी)

प्रमुख सचिव

प्रेषक

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में

समस्त अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)

जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश।

3-समस्त उप निबन्धक

उत्तर प्रदेश।

संख्या 1913/ दिनांक 01.10.2002

महोदय,

कार्यालय उप निबन्धक अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात में पंजीकृत प्रलेख का एक ऐसा मामल प्रकाश में आया है जिसमें उप निबन्धक द्वारा स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-23क के अन्र्तगत विक्रय पत्र को अनुच्छेद-18 के अन्र्तगत विक्रय प्रमाण पत्र मानते हुए लेखपत्र में दिये गये प्रतिफल पर अदा किये गये स्टाम्प के अनुसार निबन्धित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप सरकार को स्टाम्प शुल्क के रूप में भारी क्षति हुई जबकि लेखपत्र स्पष्ट रूप से विक्रय पत्र शब्द अंकित था और लेखपत्र दीवानी अथवा राजस्व न्यायालय द्वारा जारी किया विक्रय का प्रमाण पत्र भी नही था। प्रश्नगत लेखपत्र मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में नियुक्त आफिसियल लिक्वीडेटर द्वारा निष्पादित एवं एक फैक्ट्री के विक्रय से सम्बन्धित था जिस पर नियमानुसार बाजारी मूल्य पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था। ज्ञातव्य है कि "आफिसियल लिक्वीडेटर द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र जो न्यायालय के आदेशानुसार किया गया हो और न्यायालय कोई विक्रय प्रमाण पत्र जारी नही करता, अनुसूची1-ख का अनुच्छेद-18 आकृष्ट नही करता, बल्कि स्टाम्प शुल्क अनुसूची-1ख के अनुच्छेद-23 के अन्र्तगत देय होता है अर्थात प्रतिफल या मूल्य जो अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क देय है।" (ए0आई0आर0-1942 अवध 424)

इसके अतिरिक्त विक्रय प्रमाण पत्र के निबन्धन की विशेष प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम-360 में दी गयी है जिसमें कहा गया है कि विक्रय प्रमाण पत्र की प्रति

सम्बन्धित उप निबन्धक को भेजी जानी चाहिए। प्रश्नगत प्रकरण में यह प्रक्रिया भी नही अपनायी गई बल्कि आफिसियल लिक्वीडेटर एवं पक्षकारो द्वारा स्वंय विक्रय पत्र निष्पादित कर सीधे निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.09.2000 में स्टाम्प देयता के बिन्दु पर निर्देश नही दिया है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मा0 न्यायालय द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रभार्यता पर कोई हस्तक्षेप नही किया गया। उल्लेखनीय है कि स्टाम्प अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो सामान्य विधि से प्रभावित नही होता है। उप निबन्धक के लिए अभीष्ट था कि वे लेखपत्र पर अन्र्तगत धारा 33/47ए के अन्र्तगत उचित कार्यवाही करते। उप निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश जिसके द्वारा विक्रय करने की अनुमति आफिसियल लिक्वीडेटर को दी गई, जो आधार मानकर लेखपत्र को सन्दर्भित नही किया जो उनका विधि के अधीन कर्तव्य था, परिणामस्वरूप राज्य सरकार को काफी हानि उठानी पड़ी।

अतः समस्त निबन्धन कर्ता अधिकारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकार के विलेख के प्रस्तुत होने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/-

(पी0 के0 झा)

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 1914-16/ दिनांक 01.10.2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. गार्ड फाइल पर रखने हेतु, शिविर लखनऊ।

ह0/-

(पी0 के0 झा)

महानिरीक्षक निबन्धन,

उत्तर प्रदेश,